# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3105/2025

इन्द्र देव शर्मा —अपीलार्थी

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. पी.ई.ई,ओ. महात्मा गांधी स्कूल, आंवलहेड़ा, ब्लॉक बेंगू जिला चित्तौड़गढ़।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुत करने की दिनांक** : 20.06.2025
**आदेश की दिनांक** : 28.07.2025

**उपस्थित —**
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड़, अधिवक्ता

**समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

**आदेश**

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आंवलहेड़ा, ब्लॉक बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 12.04.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाकर वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटोका तलब, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में पदस्थापित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2578/2025 दायर की। जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को स्थगन प्रदान करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और अभ्यावेदन के निस्तारण तक आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी गयी एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 06.05.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिसको प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.06.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। उनका आगे

कथन है कि अपीलार्थी का पदस्थापन 200 कि.मी. दूर किये जाने से अपीलार्थी को व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अपीलार्थी की जन्म दिनांक 03.07.1966 है तथा अपीलार्थी की सेवा निवृति में मात्र 14 माह शेष है। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में अध्यापक लेवल–1 के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तेजपुर, ब्लॉक बेंगू जिला चित्तौडगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी माताजी वृद्ध है जो बीमार रहती है। जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी द्वारा की जाती है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के ब्लॉक में 3 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, एवं 5 अन्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों मे प्राचार्य के पद रिक्त है। प्राचार्य पद पर पदस्थापन हेतु सभी रिक्त पदों को कांउसलिंग के दौरान नहीं दर्शाया गया है। अतः अपीलार्थी ने रिक्त पद पर समायोजन कर राहत प्रदान करने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2025 एवं दिनांक 13.06.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आंवलहेड़ा ब्लॉक बेंगू जिला चित्तौडगढ़ में कार्य करने दिया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को रिक्त पद पर या आस–पास पदस्थापित किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रधानाचार्य के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, आंवलहेड़ा, ब्लॉक बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 12.04.2025 के द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति दी जाकर वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटो का तलब, छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में पदस्थापित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2578/2025 दायर की। माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 02.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश पर रोक लगाते हुए स्थगन प्रदान कर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और अभ्यावेदन के निस्तारण तक आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी गयी एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 06.05.2025 के द्वारा अभ्यावेदन

प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.06.2025 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए अंकित किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी निकट सेवानिवृति के (जुलाई, 2026) के आधार पर जो अनुतोष चाहा गया है उसके संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा काउन्सलिंग के माध्यम से पदस्थापन के संबंध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 27.01.2025 में निकट सेवानिवृति के आधार पर अनुतोष प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही अपीलार्थी की सेवानिवृति में अभी एक वर्ष से अधिक का समय शेष है जो उनके द्वारा पेंशन संबंधी परिलाभों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। राज्य सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 27.01.2025 में माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री एवं अन्य परिजनों की रूग्णता/अन्य आधारों पर कार्मिक को किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। कार्मिक को स्वयं गंभीर एवं असाध्य रोग (कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ब्रेन ट्यूमर व हृदय शल्य चिकित्सा) से पीड़ित होने पर ही पदस्थापन में उच्च वरीयता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा पत्नी के बेंगू ब्लॉक चितौड़गढ़ में राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर राज्य सरकार की पति–पत्नी को एक ही स्थान पर रखे जाने की नीति का जो अभिकथन किया है तो उसके संबंध में ध्यातव्य है कि वर्तमान में राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति प्रभावी नहीं है जिसमें राज्य सेवा में कार्यरत पति–पत्नी को एक ही/निकटस्थ स्थान पर पदस्थापन/समायोजन किया जावे। अतः उपर्युक्त उल्लेखित आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन का आख्यात्मक रूप से एवं सम्यक रूप से निस्तारण किया जा चुका है। अतः यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश में हम किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावडा )**
**सदस्य**

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**